रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 16 दिसम्बर, 1989/25 अग्रहायण, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 नवम्बर, 1989

संख्या भाषा- के (3)-1/81-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1976 (1976 का 32) की धारा-4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चर्मशनी देवी मन्दिर, चम्बा (हिमाचल प्रदेश) को राज्य संरक्षित संस्मारक घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं ।

उक्त प्रस्ताव की सभी हितबद्ध व्यक्तियों की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इसके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन से दो मास की अवधि के अवसान पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में आक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन से दो मास की अवधि के भीतर वित्त आयुक्त एवं सचिव (भाषा), हिमाचल प्रदेश, शिमला को अपने आक्षेप या सुझाव भेज सकता है। उपरलिखित अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर, यदि कोई हो, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्त आयुक्त एवं सचिव ।

2950-राजपत्र/89—16-12-1989—1,195. (2937) मूल्य : 1.00 रुपया ।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, सोलन, जिला सोलन

अधिसूचना

सोलन, 5 दिसम्बर, 1989

क्रमांक 3-162/82-सी0एस)-II-9216-65.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3-162/82-सी0एस0-7486-7558, दिनांक 6-10-1989 तथा संशोधन संख्या 3-162/82-सी0 एस-8156-8216, दिनांक 23-10-1989, जिसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम परचून भाव निर्धारित किया गया, का प्रसंग जारी रखते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, पारथा सारथी मित्रा, जिला दण्डाधिकारी, जिला सोलन आदेश जारी करता हूं कि उपरोक्त अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित भाव हिमाचल प्रदेश राजपत्र में छपने के उपरान्त आगामी दो मास तक लागू रहेंगे।

पारथा सारथी मित्रा,
जिला दण्डाधिकारी, सोलन।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-171006 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।